रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-जी.जे.-अ.-01042021-226304
CG-GJ-E-01042021-226304

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 135] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 31, 2021/चैत्र 10, 1943
No. 135] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 31, 2021/CHAITRA 10, 1943

**अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण**

**अधिसूचना**

गांधीनगर, 25 मार्च, 2021

**अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (वित्त कंपनी) विनियम, 2021**

**आई.एफ.एस.सी.ए./2020-21/जी.एन./रेग्यु010.**—अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 12 की उपधारा (1) और धारा 13 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 28 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्रों में वित्त कंपनी के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

**अध्याय I**

**प्रारंभिक**

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**

(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (वित्त कंपनी) विनियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

**2. परिभाषाएं**

(1) इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

क) "अधिनियम" से अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) अभिप्रेत है;

ख) “वायुयान पट्टा” के अंतर्गत वायुयान या हेलीकोप्टर और वायुयान या हेलीकोप्टर के ईंजनों या उनके किसी भाग का प्रचालन और वित्तीय पट्टा तथा उनके प्रचालन और वित्तीय पट्टे का कोई हाइब्रिड शामिल है;

ग) “प्राधिकरण” से अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण अभिप्रेत है;

घ) “बैंककारी यूनिट” का वही अर्थ होगा जो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (बैंककारी) विनियम, 2020 के विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (ग) के अधीन उसका है;

ङ) “वित्त कंपनी” से अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन यथा-परिभाषित कोई ऐसी वित्तीय संस्था अभिप्रेत है, जो इन विनियमों के विनियम 5 के उप-विनियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट एक या उससे अधिक अनुज्ञेय क्रियाकलापों में व्यवहार करने के लिए पृथक् रूप से निगमित की गई है, बशर्ते:

(i) वह इन विनियमों में यथा-परिभाषित निवासी और अनिवासी से लोक निक्षेप स्वीकार नहीं करती है; और

(ii) वह प्राधिकरण के पास बैंककारी यूनिट के रूप में रजिस्ट्रीकृत नहीं है;

च) “वित्त यूनिट” से अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन यथा-परिभाषित कोई ऐसी वित्तीय संस्था अभिप्रेत है, जो इन विनियमों के विनियम 5 के उप-विनियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट एक या उससे अधिक अनुज्ञेय क्रियाकलापों में व्यवहार करने के लिए इन विनियमों के अधीन अनुज्ञात एक शाखा के रूप में स्थापित की गई है, बशर्ते:

(i) वह इन विनियमों में यथा-परिभाषित निवासी और अनिवासी से लोक निक्षेप स्वीकार नहीं करती है; और

(ii) वह प्राधिकरण के पास बैंककारी यूनिट के रूप में रजिस्ट्रीकृत नहीं है;

छ) “अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र” का वही अर्थ होगा जो अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (छ) के अधीन उसका है;

ज) “अनिवासी” से विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 2 के खंड (ब) के अधीन यथा-परिभाषित भारत के बाहर निवासी कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

झ) किसी वित्त कंपनी के लिए “स्वामित्वाधीन निधि” से शेयर प्रीमियम खाते में समादत्त पूंजी और मुक्त आरक्षिति अतिशेष और आस्ति के पुनर्मूल्यांकन द्वारा सृजित आरक्षिति को छोड़कर आस्ति के विक्रय आगमों में से संचित हानि अतिशेष, अमूर्त आस्तियों के बही मूल्य और आस्थगित राजस्व व्यय, यदि कोई है, घटाने पर उद्भूत अधिशेष के रूप में पूंजीगत आरक्षिति अभिप्रेत होगी;

ञ) इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए “लोक निक्षेप” से किसी निवासी या किसी अनिवासी से किसी भी रूप में जुटाई गई वह रकम अभिप्रेत होगी जो कि मांग किए जाने पर प्रतिदेय है या कोई आवधिक निक्षेप है और इसके अंतर्गत ऐसी अन्य रकम भी है जो प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाए;

ट) “निवासी” से विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 2 के खंड (v) के अधीन यथा-परिभाषित भारत में निवासी कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

ठ) “रिजर्व बैंक” से भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) के अधीन स्थापित भारतीय रिजर्व बैंक अभिप्रेत है;

ड) “पोत पट्टा” के अंतर्गत पोतों या महासागर जलयानों और पोतों या महासागर जलयानों के ईंजनों या उनके किसी भाग का प्रचालन और वित्तीय पट्टा तथा उनके प्रचालन और वित्तीय पट्टे का कोई हाइब्रिड शामिल है;

(2) उन शब्दों और पदो के, जो इन विनियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम या अधिनियम की पहली अनुसूची में उल्लिखित अधिनियमों या कंपनी अधिनियम, 2013 या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या विनियमों में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उन अधिनियमों, नियमों या विनियमों या यथास्थिति, उनके किसी कानूनी उपांतरण या पुनर्अधिनियमिति में क्रमशः उनके हैं ।

## अध्याय 2

## वित्त कंपनी की स्थापना

### 3. रजिस्ट्रीकरण अपेक्षा

(1) कोई इकाई इन विनियमों की अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों को चलाने के लिए प्राधिकरण से रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करने के पश्चात् ही अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्रों में, यथास्थिति, एक वित्त कंपनी या वित्त यूनिट के रूप में कारबार प्रारंभ करेगी।

(2) कोई वित्त कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन सहायक कंपनी या संयुक्त उद्यम के रूप में या नए रूप में निगमित कंपनी के रूप में या ऐसे किसी अन्य रूप में, जैसा प्राधिकरण समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे, स्थापित की जा सकती है:

परन्तु यदि किसी वित्त कंपनी में कोई विनिधान इकाई अपने गृह अधिकार-क्षेत्र में विनियमित वित्तीय क्रियाकलाप चला रही है तो वह अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्रों में, जहां कहीं भी लागू हो, कोई वित्त कंपनी स्थापित करने के लिए अपने गृह देश के विनियामक से अनापत्ति प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करेगी।

(3) कोई वित्त यूनिट तभी स्थापित किया जा सकता है यदि यथास्थिति, विनिधान इकाई या विनिधान इकाई की प्रधान मूल इकाई अपने गृह अधिकार-क्षेत्र में कोई विनियमित वित्तीय क्रियाकलाप चला रही है और उसने अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्रों में कोई वित्त यूनिट स्थापित करने के लिए अपने गृह देश के विनियामक से अनापत्ति प्रमाणपत्र अभिप्राप्त किया है।

(4) यथास्थिति, वित्त कंपनी या वित्त यूनिट के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने के लिए आवेदन, आवेदक द्वारा उस प्ररूप और रीति में किया जाएगा, जैसा प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए:

परन्तु ऐसे आवेदक के बारे में, जिसका आशय एक या अधिक गैर-कोर क्रियाकलाप आरंभ करना है, इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए वित्त कंपनी के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए विचार किया जा सकेगा भले ही वह सीमित दायित्व भागीदारी या एक न्यास के रूप निगमित की गई हो।

(5) आवेदक, प्राधिकरण से रजिस्ट्रीकरण की ईप्सा करने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करेगा:

(i) यदि आवेदक 'वित्त कंपनी' के रूप में रजिस्ट्रीकरण की ईप्सा कर रहा है तो वह उसके द्वारा आरंभ किए जाने के लिए प्रस्तावित क्रियाकलाप के आधार पर इन विनियमों की अनुसूची में यथा-विनिर्दिष्ट न्यूनतम स्वामित्वाधीन निधि या ऐसी अन्य उच्चतर रकम, जो प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, रखेगा और उसे बनाए रखेगा।

(ii) यदि आवेदक 'वित्त यूनिट' के रूप में रजिस्ट्रीकरण की ईप्सा कर रहा है तो उसकी मूल कंपनी, वित्त यूनिट द्वारा आरंभ किए जाने के लिए प्रस्तावित क्रियाकलाप के आधार पर सभी समयों पर अक्षुण्ण आधार पर इन विनियमों की अनुसूची में यथा-विनिर्दिष्ट न्यूनतम स्वामित्वाधीन निधि या ऐसी अन्य उच्चतर रकम, जो प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, रखेगा और उसे बनाए रखेगा।

(6) आवेदक इकाई और/या उसके संप्रवर्तक किसी एफ.ए.टी.एफ. सम्मत अधिकार-क्षेत्र से होंगे और वे धन-शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण को रोकने के लिए बनाए गए वित्तीय कार्रवाई कार्यदल द्वारा स्थापित अंतरराष्ट्रीय मानकों का अनुपालन करेंगे।

(7) यदि उप-विनियम (4) के अधीन किए गए आवेदन पर विचार करने के पश्चात् प्राधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि इन विनियमों में यथा-विनिर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों का अनुपालन किया गया है तो वह आवेदक को ऐसे प्ररूप में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विनिर्दिष्ट की जाएं, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान कर सकेगा:

परन्तु यदि किसी आवेदक की ओर से अनुरोध प्राप्त होने पर, प्राधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि आवेदक को रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने के लिए कतिपय शर्तों का अनुपालन करने हेतु अधिक समय दिया जा सकता है तो वह उन कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएं, आवेदक को ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह आवश्यक समझे, अतिरिक्त समय देते हुए अनंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने पर विचार कर सकेगा:

परन्तु यह और कि यदि प्राधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि आवेदक ऐसी किसी शर्त का, जिसके अधीन अनंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया था, अनुपालन करने में असमर्थ है तो प्राधिकरण द्वारा अनंतिम रजिस्ट्रीकरण वापस लिया जा सकता है।

(8) यदि रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन पर विचार करने के पश्चात् प्राधिकरण की यह राय है कि रजिस्ट्रीकरण प्रदान नहीं किया जा सकता है तो वह आवेदक को कमियों में सुधार करने के लिए तीस दिन का समय देते हुए कमियां संसूचित करेगा।

(9) यदि आवेदक विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्राधिकरण के समाधानप्रद रूप में ऐसी कमियों में सुधार करने में असफल रहता है तो प्राधिकरण रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र देने से इनकार कर सकेगा और ऐसी इनकारी के लिए कारण देते हुए आवेदक को इसकी संसूचना देगा:

परन्तु प्राधिकरण द्वारा आवेदक को उन आधारों के संबंध में, जिनके आधार पर रजिस्ट्रीकरण से इनकार किया जाना प्रस्तावित है, लिखित निवेदन करने का अवसर दिए बिना ऐसी इनकारी नहीं की जाएगी।

## अध्याय 3

## विवेकपूर्ण विनियमनकारी अपेक्षाएं

### 4. लागू विवेकपूर्ण विनियम

(1) यथास्थिति, किसी वित्त कंपनी या किसी वित्त यूनिट को लागू विवेकपूर्ण विनियम ऐसे होंगे जो प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(2) **पूंजी अनुपात (सी.आर.)**

यथास्थिति, कोई वित्त कंपनी या कोई वित्त यूनिट अपनी विनियमनकारी पूंजी और अपनी जोखिम भारित आस्तियों में कम से कम आठ प्रतिशत या उतना प्रतिशत, जितना प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, पूंजी अनुपात बनाए रखेगा।

(3) **तरलता कवरेज अनुपात (एल.सी.आर.)**

यथास्थिति, कोई वित्त कंपनी या कोई वित्त यूनिट सभी समयों पर स्वचलित आधार पर, जैसा कि प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाए, एल.सी.आर. बनाए रखेगा:

परन्तु किसी वित्त यूनिट की दशा में, प्राधिकरण के विनिर्दिष्ट अनुमोदन से एल.सी.आर. को मूल इकाई द्वारा बनाए रखने की अनुज्ञा दी जा सकेगी।

(4) **एक्सपोज़र सीलिंग (ई. सी.)**

यथास्थिति, किसी वित्त कंपनी या किसी वित्त यूनिट के किसी एकल प्रति-पक्षकार या संसक्त प्रति-पक्षकारों के समूह के सभी एक्सपोज़रों का योग प्राधिकरण के अनुमोदन के बिना उसके उपलब्ध पात्र पूंजी आधार के पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

स्पष्टीकरण: प्राधिकरण, विनियम 4 के उप-विनियम (1) से उप-विनियम (4) तक के अधीन आने वाली अपेक्षाओं के कार्यान्वयन की बाबत प्रचालन संबंधी दिशानिर्देश जारी करेगा।

## अध्याय 4

## अनुज्ञेय क्रियाकलाप

### 5. अनुज्ञेय क्रियाकलाप

(1) यथास्थिति, कोई वित्त कंपनी या कोई वित्त यूनिट, ऐसे निबंधनों और शर्तों या दिशानिर्देशों के अधीन रहते हुए, जो प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे, निम्नलिखित अनुज्ञात कोर और गैर-कोर क्रियाकलाप आरंभ कर सकेगा:

(i) **अनुज्ञात विशेषीकृत क्रियाकलाप**

(क) उधार वृद्धि;

(ख) प्राप्तियों की फैक्टरिंग और फॉरफेटिंग;

(ग) ऐसा कोई अन्य विशेषीकृत क्रियाकलाप, जो प्राधिकरण अनुज्ञात करे;

**(ii) अनुज्ञात कोर क्रियाकलाप**

(क) उधार वचनबद्धता और प्रत्याभूतियों, प्रतिभूतिकरण और पोर्टफोलियों के क्रय और विक्रय के रूप में उधार देना;

(ख) निवेश करना, जिसके अंतर्गत प्रतिभूतियों या ऐसे अन्य लिखतों में, जो प्राधिकरण द्वारा अनुज्ञात की जाएं, अंशदान करना, उन्हें अर्जित करना, धारण करना या उनका अंतरण करना भी है;

(ग) उपकरणों का पट्टाकरण करना;

(घ) वायुयान पट्टे और पोत पट्टे के लिए वित्तीय पट्टा संव्यवहार करना;

(ङ) डेरिवेटिव्स का क्रय या विक्रय करना;

(च) वैश्विक/क्षेत्रीय कारपोरेट खज़ाना केन्द्र;

(छ) ऐसा कोई अन्य क्रियाकलाप, जो प्राधिकरण अनुज्ञात करे ।

**(iii) अनुज्ञात गैर-कोर क्रियाकलाप**

विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण अपेक्षाओं के अधीन रहते हुए, जहां कहीं भी लागू हो, यथास्थिति, किसी वित्त कंपनी या किसी वित्त यूनिट के लिए अनुज्ञात गैर-कोर क्रियाकलापों में निम्नलिखित क्रियाकलाप शामिल होंगे:

(क) मर्चेंट बैंकिंग;

(ख) प्राधिकृत व्यक्ति;

(ग) रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता;

(घ) न्यासिता सेवाएं;

(ङ) निवेश सलाहकारी सेवाएं;

(च) पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाएं;

(छ) म्युच्अल फंड यूनिटों का वितरण;

(ज) बीमा उत्पादों का वितरण;

(झ) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में स्थापित एक्सचेजों और समाशोधन निगमों के व्यापारिक और समाशोधन सदस्यों या वृत्तिक समाशोधन सदस्य के रूप में कृत्य करना;

(ञ) प्राधिकरण द्वारा यथा-विनिर्दिष्ट वायुयान प्रचालन पट्टे के ढांचे के अधीन अनुज्ञात संव्यवहार;

(ट) प्राधिकरण द्वारा यथा-विनिर्दिष्ट पोत प्रचालन पट्टे के ढांचे के अधीन अनुज्ञात संव्यवहार;

(ठ) प्राधिकरण द्वारा यथा-विनिर्दिष्ट समर्थकारी सहायक सेवाओं के ढांचे के लिए अनुज्ञात आस्ति प्रबंधन सहायता सेवाए;

(ड) ऐसा कोई अन्य गैर-कोर क्रियाकलाप, जो प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन से अनुज्ञात किया जाए ।

(2) वायुयान पट्टा संव्यवहार आरंभ करने के लिए आशयित कोई वित्त कंपनी या कोई वित्त यूनिट केप टाउन कन्वेंशन एंड प्रोटोकोल के अनुरूप होगा ।

(3) ऐसी कोई वित्त कंपनी या कोई वित्त यूनिट, जिसका आशय या तो एकल गैर-कोर क्रियाकलाप या गैर-कोर क्रियाकलापों के संयोजन को आरंभ करना है, निम्नलिखित शर्तों को पूरा करेगा:

(क) वह प्रत्येक ऐसा क्रियाकलाप पृथक् रूप से अभिज्ञेय विभाग (एस.आई.डी.) के माध्यम से करेगा;

(ख) वह विभिन्न गैर-कोर क्रियाकलापों के बीच ऐसी फ़ायरवॉल सुनिश्चित करेगा जिससे कि हित संघर्ष की कोई स्थिति उद्भूत न हो;

(ग) वह ऐसी शिकायतों से निपटने के लिए बोर्ड से अनुमोदित शिकायत निवारण और ग्राहक प्रतिकर नीति तैयार करेगा।

(4) यथास्थिति, वित्त कंपनी या वित्त यूनिट उप-विनियम (1) में यथा-विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय क्रियाकलापों के भागस्वरूप वित्तीय उत्पादों और वित्तीय सेवाओं में निवासियों और अनिवासियों के साथ संव्यवहार कर सकेगा:

परन्तु निवासियों के साथ कोई भी व्यवहार विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के उपबंधों के अधीन होगा।

(5) गैर-कोर क्रियाकलाप चलाने वाली प्रत्येक यथास्थिति, वित्त कंपनी या वित्त यूनिट केवल अपने अंतर्निहित एक्सपोज़रों के बचाव के प्रयोजन के लिए डेरिवेटिव्स संव्यवहार भी कर सकेगा।

(6) यथास्थिति, कोई वित्त कंपनी या कोई वित्त यूनिट सट्टेबाज़ी संबंधी कोई संव्यवहार नहीं करेगा या उसमें वित्तपोषण नहीं करेगा।

(7) यथास्थिति, वित्त कंपनी या वित्त यूनिट के लिए निधियों का स्रोत निवासी और अनिवासी ही होंगे:

परन्तु निवासियों के साथ कोई भी व्यवहार विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के उपबंधों के अधीन होगा।

## अध्याय 5

## प्रकीर्ण

### 6. प्रचालन की मुद्रा

(1) यथास्थिति, कोई वित्त कंपनी या कोई वित्त यूनिट अपना प्रचालन निर्बाध रूप से संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में और ऐसे व्यक्तियों के साथ, चाहे वे निवासी हों या अन्यथा, जैसा कि प्राधिकरण द्वारा अनुज्ञात किया जाए, करेगा:

परन्तु यथास्थिति, किसी वित्त कंपनी या किसी वित्त यूनिट को ऐसे कारबार संव्यवहारों को, जो प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, उन कारबार संव्यवहारों के निर्बाध रूप से संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में परिनिर्धारण के अधीन रहते हुए भारतीय रुपयों के अंकित मूल्य में करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(2) यथास्थिति, किसी वित्त कंपनी या किसी वित्त यूनिट को अपने प्रशासनिक और कानूनी व्ययों को पूरा करने और ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए, जो प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे, निर्बाध रूप से संपरिवर्तीय विदेशी मुद्रा में से भारतीय रुपयों में खाता रखने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।

(3) प्रत्येक वित्त कंपनी या वित्त यूनिट अपना तुलनपत्र केवल अमरीकी डालरों(यू.एस.डी.) में ही रखेगा। वित्त यूनिट यह सुनिश्चित करेगा कि उसके संव्यवहारों से संबंधित लेखाओं को उसकी मूल कंपनी के लेखाओं से सुभिन्न रखा जाए।

### 7. अपने ग्राहक को पहचानिए और धनशोधन रोधी

प्रत्येक वित्त कंपनी और वित्त यूनिट अपने ग्राहक को पहचानने संबंधी मानदंडों, आतंकवाद के लिए वित्तपोषण को रोकने और अन्य धनशोधन रोधी अपेक्षाओं, जिसके अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्रों में किसी बैंककारी यूनिट के लिए यथा-विनिर्दिष्ट रिपोर्ट करने संबंधी अपेक्षाएं भी हैं, का अनुपालन करेगा।

### 8. कारपोरेट संचालन और प्रकटन अपेक्षाएं

(1) प्रत्येक वित्त कंपनी और वित्त यूनिट प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली कारपोरेट संचालन और प्रकटन संबंधी अपेक्षाओं का पालन करेगा।

(2) किसी वित्त कंपनी का विलयन, अर्जन, प्रबंधतंत्र का कार्यभार ग्रहण करना या उसमें ऐसा परिवर्तन, जिसके परिणामस्वरूप किसी करार के अधीन कम से कम बीस प्रतिशत कुल शेयर पूंजी के नियंत्रण या कारबार संबंधी विनिश्चयों के नियंत्रण में परिवर्तन होता है, पूर्व अनुमोदन और ऐसी अन्य अपेक्षाओं के अधीन होगा, जो प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे:

परन्तु किसी वित्त यूनिट की मूल कंपनी में विलयन, अर्जन, प्रबधतंत्र ग्रहण और परिवर्तन उसकी रजिस्ट्रीकरण संबंधी अपेक्षाओं के अनुपालन में होगा और उसकी सूचना ऐसी घटना की तारीख से 15 दिन की अवधि के भीतर प्राधिकरण को दी जाएगी।

**9. रिपोर्ट करने संबंधी अपेक्षाए**

(1) प्रत्येक वित्त कंपनी और वित्त यूनिट अपने प्रचालन से संबंधी जानकारी प्राधिकरण को ऐसी रीति में, ऐसे अंतराल पर और ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगा, जैसा प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(2) किसी वित्त कंपनी और किसी वित्त यूनिट द्वारा प्राधिकरण को दी गई प्रत्येक वित्तीय रिपोर्ट, जब तक कि प्राधिकरण द्वारा अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाए, अमरीकी डालरों में होगी।

**10. प्रक्रियाएं विनिर्दिष्ट करने और स्पष्टीकरण जारी करने की शक्ति**

(1) प्राधिकरण, इन विनियमों और उनसे आनुषंगिक विषयों के कार्यान्वयन के प्रयोजनों के लिए या इन विनियमों के अधीन अनुज्ञात क्रियाकलापों से संबंधित वित्तीय सेवाओं को सुकर बनाने और विनियमित करने की दृष्टि से परिपत्रों या दिशानिर्देशों के रूप में मानदंड, प्रक्रियाएं, आदेशिकाएं, रीतियां, जिसके अंतर्गत उनमें छूट, यदि कोई है, भी है, विनिर्दिष्ट कर सकेगा।

(2) आवेदक इकाई/वित्त कंपनी/वित्त यूनिट प्राधिकरण को ऐसी फीस और प्रभारों का संदाय करेगा, जो विनिर्दिष्ट किए जाएं।

**11. व्यतिक्रम की दशा में कार्रवाई**

यदि, यथास्थिति, कोई वित्त कंपनी या कोई वित्त यूनिट ऐसी किसी शर्त को, जिसके अधीन रहते हुए विनियम 3 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया है, पूरा करने में असफल रहता है तो प्राधिकरण कोई भी ऐसी कार्रवाई कर सकेगा, जो वह उचित समझे, जिनके अंतर्गत इकाई को अपने निवेदन करने का अवसर देने के पश्चात् रजिस्ट्रीकरण का निलंबन, प्रत्याहरण या रद्दकरण भी है।

**अनुसूची**

**[विनियम 3(1), 3(4)(i) और 3(4)(ii) देखिए]**

<table>
<tr><th>सं.</th><th>क्रियाकलाप</th><th>न्यूनतम स्वामित्वाधीन निधि संबंधी अपेक्षा</th><th>छूटप्राप्त विनियम, यदि कोई हैं</th></tr>
<tr><td>1</td><td>वायुयान पट्टे के लिए केवल प्रचालन पटटे संबंधी संव्यवहार करना</td><td>0.2 मिलियन अमरीकी डालर या किसी अन्य निर्बाध रूप से संपरिवर्तनीय मुद्रा में समतुल्य रकम</td><td rowspan="4">निम्नलिखित के अधीन रहते हुए, विनियम (4) और विनियम (8):<br>(i) बोर्ड द्वारा अनुमोदित विवेकपूर्ण नीति रखना<br>(ii) प्राधिकरण द्वारा उपवर्णित उपयुक्त और समुचित मानदंड</td></tr>
<tr><td>2</td><td>एक या उससे अधिक गैर-कोर क्रियाकलाप करना</td><td rowspan="3">0.2 मिलियन अमरीकी डालर या किसी अन्य निर्बाध रूप से संपरिवर्तनीय मुद्रा में समतुल्य रकम या ऐसी कोई रकम जो प्रस्तावित गैर-कोर क्रियाकलाप के लिए विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण की ईप्सा करने के लिए अपेक्षित हो।</td></tr>
<tr><td>3</td><td>जब भी प्राधिकरण द्वारा अनुज्ञात किया जाए, कोर क्रियाकलापों के सुकारक के रूप में कार्य करने का वचन देना</td></tr>
<tr><td>4</td><td>कोई अनुज्ञेय क्रियाकलाप करना, यदि उसका प्रचालन उपभोक्ता इंटरफेस के बिना किया जा रहा है</td></tr>
<tr><td>5</td><td>गैर-कोर क्रियाकलापों सहित या रहित एक या अधिक कोर क्रियाकलाप करना</td><td>3 मिलियन अमरीकी डालर या किसी अन्य निर्बाध रूप से संपरिवर्तनीय मुद्रा में समतुल्य रकम</td><td>कोई नहीं</td></tr>
</table>

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 | कोर या गैर-कोर क्रियाकलापों सहित या रहित विशेषीकृत क्रियाकलाप करना | 5 मिलियन अमरीकी डालर या किसी अन्य निर्बाध रूप से संपरिवर्तनीय मुद्रा में समतुल्य रकम | कोई नहीं |

इनजेती श्रीनिवास, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./573/2020-21]

**INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY**

**NOTIFICATION**

Gandhinagar, the 25th March, 2021

**INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY (FINANCE COMPANY) REGULATIONS, 2021**

**IFSCA/2020-21/GN/REG010.—**In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 28, read with sub-section (1) of Section 12 and sub-section (1) of Section 13 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019, the International Financial Services Centres Authority hereby makes the following regulations for Finance Company in the International Financial Services Centres, namely: -

**CHAPTER I**

**PRELIMINARY**

**1. Short title and commencement**

(1) These regulations may be called the International Financial Services Centres Authority (Finance Company) Regulations, 2021.

(2) They shall come into force from the date of its notification in the Official Gazette.

**2. Definitions**

(1) In these regulations, unless the context otherwise requires, -

a) "Act" means the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019);

b) "Aircraft Lease" includes operating and financial lease and any hybrid of operating and financial lease of aircraft or helicopter and engines of aircraft or helicopter or any other part thereof;

c) "Authority" means the International Financial Services Centres Authority established under sub-section (1) of section 4 of the Act;

d) "Banking Unit" shall have the same meaning as assigned to it under clause (c) of sub-regulation (1) of regulation 2 of the International Financial Services Centres Authority (Banking) Regulations, 2020;

e) "Finance Company" means a financial institution as defined under clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Act, separately incorporated to deal in one or more of the permissible activities specified under sub-regulation (1) of regulation 5 of these regulations, provided:

(i) It does not accept public deposit from resident and non-resident, as defined in these regulations; and

(ii) It is not registered with the Authority as a Banking Unit;

f) "Finance Unit" means a financial institution as defined under clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Act, set up as a branch permitted under these regulations to deal in one or more of the permissible activities specified under sub-regulation (1) of regulation 5 of these regulations, provided:

(i) it does not accept public deposit from resident and non-resident as defined in these regulations; and

(ii) it is not registered with the Authority as a Banking Unit;

g) "International Financial Services Centre" shall have the same meaning as assigned to it under clause (g) of sub-section (1) of Section 3 of the Act;

h) "Non-resident" means a person resident outside India as defined under clause (w) of Section 2 of The Foreign Exchange Management Act, 1999;

i) "Owned fund" for a Finance Company shall mean the paid-up-capital and free reserves balance in share premium account and capital reserves representing surplus arising out of sale proceeds of asset, excluding reserves created by revaluation of asset, as reduced by accumulated loss balance, book value of intangible assets and deferred revenue expenditure, if any;

j) "Public deposit", for the purposes of these regulations shall mean an amount raised from a resident or a non-resident, in any form which is repayable on demand or is a term deposit and includes such other amount as may be specified by the Authority from time to time;

k) "Resident" means a person resident in India as defined under clause (v) of Section 2 of The Foreign Exchange Management Act, 1999;

l) "Reserve Bank" means the Reserve Bank of India established under the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934);

m) "Ship Lease" includes operating and financial lease and any hybrid of operating and financial lease of ships or ocean vessels and engines of ships or ocean vessels or any other part thereof;

(2) Words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the Act or Acts mentioned in the First Schedule to the Act or Companies Act, 2013, or any rules or regulations made thereunder shall have the same meanings respectively assigned to them in those Acts, rules or regulations or any statutory modification or re-enactment thereto, as the case may be.

## CHAPTER II

## SETTING UP OF A FINANCE COMPANY

**3. Registration Requirement**

(1) An entity shall commence business as a Finance Company or Finance Unit, as the case may be, in International Financial Services Centres (IFSCs) only after obtaining a certificate of registration from the Authority for carrying out the activities specified in Schedule to these regulations.

(2) A Finance Company can be set up either as a subsidiary or a joint venture, or as a newly incorporated company under the Companies Act, 2013, or in any other form as may be specified by the Authority from time to time:

*Provided* that if an investing entity in a Finance Company is carrying out a regulated financial activity in its home jurisdiction, it shall obtain a No-objection Certificate from its home country regulator for setting up a Finance Company in the IFSCs, wherever applicable.

(3) A Finance Unit can be set up if the investing entity or the ultimate parent of the investing entity, as the case may be, is carrying out a regulated financial activity in its home jurisdiction and has obtained the No-Objection Certificate from the home country regulator for setting up a Finance Unit in the IFSCs.

(4) An application for grant of registration as a Finance Company or a Finance Unit, as the case may be, shall be made by the applicant in the form and manner as specified by the Authority:

*Provided* that an applicant intending to undertake either one or more non-core activities may be considered for registration as 'finance company' for the purposes of these regulations even if incorporated in the form of a Limited Liability Partnership or a Trust.

(5) The applicant shall fulfil the following conditions for seeking registration with the Authority:

(i) In case the applicant is seeking registration as a 'Finance Company', it shall have and maintain minimum owned fund, depending on the activity proposed to be undertaken by it, as specified in Schedule of these regulations, or such other higher amount as may be specified by the Authority.

(ii) In case the applicant is seeking registration as ‘Finance Unit’, its parent shall provide and maintain minimum owned fund on unimpaired basis at all times, depending on the activity proposed to be undertaken by the Finance Unit, as specified in Schedule to these regulations, or such other higher amount as may be specified by the Authority.

(6) The applicant entity and/or its promoters shall be from a FATF compliant jurisdiction and comply with international standards set by the Financial Action Task Force to combat money laundering and terrorist financing.

(7) After considering the application made under sub-regulation (4), if the Authority is satisfied that the terms and conditions as specified in these regulations have been complied with, it may grant certificate of registration to the applicant, in such form and subject to such conditions, as may be specified:

*Provided* that on a request received from an applicant, if the Authority is satisfied that the applicant may be given more time to comply with certain conditions for grant of registration, it may, for the reasons to be recorded in writing, consider grant of provisional registration giving additional time to the applicant, subject to such conditions, as it may deem necessary:

*Provided further* that the provisional registration can be withdrawn by the Authority if the Authority is satisfied that the applicant is unable to comply with any of the conditions under which the provisional registration was granted.

(8) After considering the application for registration, if the Authority is of the opinion that registration cannot be granted, it shall communicate the deficiencies to the applicant giving it thirty days’ time to rectify them.

(9) If the applicant fails to rectify such deficiencies to the satisfaction of the Authority within the specified time, the Authority may refuse to grant certificate of registration and shall communicate the same to the applicant, giving reasons for such refusal:

*Provided* that no such refusal shall be made by the Authority without giving the applicant an opportunity to make written submissions on the grounds on which the registration is proposed to be refused.

## CHAPTER III

## PRUDENTIAL REGULATORY REQUIREMENTS

### 4. Applicable prudential regulations

(1) The prudential regulations applicable to a Finance Company or a Finance Unit, as the case may be, shall be such as may be specified by the Authority.

(2) **Capital Ratio (CR)**

A Finance Company or a Finance Unit, as the case may be, shall maintain a minimum capital ratio at eight *per cent* of its regulatory capital to its risk-weighted assets or at such percentage as may be specified by the Authority.

**(3) Liquidity Coverage Ratio (LCR)**

A Finance Company or a Finance Unit as the case may be, shall maintain LCR on stand-alone basis, at all times, as may be determined by the Authority:

*Provided* that in the case of a Finance Unit, the LCR may be allowed to be maintained by the parent entity, with specific approval of the Authority.

(4) **Exposure Ceiling (EC)**

The sum of all the exposures of a Finance Company or a Finance Unit, as the case may be, to a single counterparty or group of connected counterparties shall not exceed twenty-five *per cent.* of its available eligible capital base without the approval of the Authority.

***Explanation:*** The Authority shall issue operational guidelines with respect to the implementation of the requirements under sub-regulations (1) to (4) of regulation 4.

## Chapter IV

## PERMISSIBLE ACTIVITIES

### 5. Permissible activities

(1) A Finance Company or a Finance Unit, as the case may be, may undertake the following permitted core and non-core activities, subject to compliance with such terms and conditions or guidelines as may be specified by the Authority:

**(i) Permitted Specialised Activities**

(a) Credit enhancement;

(b) Factoring and forfaiting of receivables;

(c) any other specialised activity as may be permitted by the Authority.

**(ii) Permitted Core Activities**

(a) Lend in the form of loans, commitments and guarantees, securitisation, and sale and purchase of portfolios;

(b) Undertake investments, including subscribing, acquiring, holding, or transferring securities or such other instruments, as may be permitted by the Authority;

(c) Undertake equipment leasing,

(d) Carry out financial lease transactions for aircraft lease and ship lease;

(e) Buy or Sell derivatives;

(f) Global/Regional Corporate Treasury Centres;

(g) any other core activity as may be permitted by the Authority.

(iii) **Permitted Non-core Activities**

Subject to specific registration requirements, wherever applicable, permitted non-core activities for a Finance Company or a Finance Unit, as the case may be, shall include following activities:

(a) Merchant Banking;

(b) Authorised person;

(c) Registrar and Share Transfer Agent;

(d) Trusteeship Services;

(e) Investment Advisory Services;

(f) Portfolio Management Services;

(g) Distribution of mutual fund units;

(h) Distribution of insurance products;

(i) Function as trading and clearing members or professional clearing member of exchanges and clearing corporations set up in IFSC;

(j) Transactions permitted under the Framework for Aircraft Operating Lease, as specified by the Authority;

(k) Transactions permitted under the Framework for Ship Operating Lease, as may be specified by the Authority;

(l) Asset Management support services permitted under the Framework for Enabling Ancillary Services as specified by the Authority,

(m) any other non-core activity, as may be permitted with prior approval of the Authority.

(2) A Finance Company or a Finance Unit intending to undertake aircraft lease transactions shall be in conformity to the Cape Town Convention and Protocol.

(3) A Finance Company or a Finance Unit intending to undertake either a single or a combination of non-core activities, shall fulfil the following conditions:

(a) It shall carry out each such activity through separately identifiable department (SID);

(b) It shall ensure a fire wall between various non-core activities so that no conflict of interest situation arises;

(c) It shall formulate Board approved grievance redressal and customer compensation policy to deal with such complaints.

(4) The Finance Company or a Finance Unit, as the case may be, may undertake transactions in financial products and financial services as part of permissible activities as specified in sub-regulation (1), with both residents and non-residents:

*Provided that* any dealing with residents shall be subject to the provisions of Foreign Exchange Management Act, 1999.

(5) Every Finance Company or a Finance Unit, as the case may be, carrying out non-core activities may also undertake derivative transactions only for the purpose of hedging their underlying exposures.

(6) A Finance Company or a Finance Unit, as the case may be, shall not undertake or fund any speculative transaction.

(7) The source of funds for Finance Company or a Finance Unit, as the case may be, shall be from residents and non-residents:

*Provided that* any dealing with residents shall be subject to the provisions of Foreign Exchange Management Act, 1999.

## CHAPTER V

## MISCELLANEOUS

**6. Currency of Operations**

(1) A Finance Company or a Finance Unit, as the case may be, shall carry out its operation in a freely convertible foreign currency and with such persons, whether resident or otherwise, as may be permitted by the Authority:

*Provided* that a Finance Company or a Finance Unit, as the case may be, may be permitted to conduct such business transactions denominated in INR as may be specified by the Authority, subject to settlement of those business transactions in freely convertible foreign currency.

(2) A Finance Company or a Finance Unit, as the case may be, shall be permitted to have an INR account out of the freely convertible foreign currency to defray their administrative and statutory expenses and for such other purposes as may be specified by the Authority.
(3) Every Finance Company or a Finance Unit shall maintain its balance sheet only in United States Dollars (USD). A Finance Unit shall ensure that accounts pertaining to its transactions are kept distinct from that of its parent.

**7. Know Your Customer and Anti-Money Laundering**

Every Finance Company and Finance Unit shall follow Know Your Customer norms, combating of financing of terrorism and other anti-money laundering requirements, including reporting requirements, as specified for a Banking Unit in IFSCs.

**8. Corporate Governance and Disclosure Requirements**

(1) Every Finance Company and Finance Unit shall adhere to the guidelines on corporate governance and disclosure requirements to be specified by the Authority.

(2) Any mergers, acquisitions, takeovers or change in management of a Finance Company, which results in its change in control of at least twenty *per-cent.* of total share capital, or of business decisions under an

agreement, shall be subject to prior approval and such other requirements as may be specified by the Authority:

*Provided* that mergers, acquisitions, takeovers or change in management in the parent of a Finance Unit shall be in compliance to its registration requirements and shall be intimated to the Authority within a period of 15 days from the date of such event.

**9. Reporting Requirements**

(1) Every Finance Company and Finance Unit shall furnish information relating to its operations to the Authority, in such manner, interval and form, as may be specified by the Authority.

(2) Every financial reporting by a Finance Company and a Finance Unit to the Authority shall be in US Dollar, unless otherwise specified by the Authority.

**10. Power to Specify Procedures and Issue Clarifications**

(1) For the purposes of implementation of these regulations and matters incidental thereto, or in order to facilitate and regulate financial services relating to activities permitted under these regulations, the Authority may specify norms, procedures, processes, manners including relaxations therefrom, if any, by way of circulars or guidelines.

(2) The applicant entity /Finance Company/ Finance Unit, shall pay to the Authority, such fees and charges, as may be specified.

**11. Action in Case of Default**

If a Finance Company or a Finance Unit, as the case may be, fails to fulfil any of the conditions subject to which the registration under Regulation 3 has been granted, the Authority may take any action as it may deem fit, including suspension, withdrawal or cancellation of registration, after giving an opportunity to the entity, of making its submissions.

**SCHEDULE**

*[See regulation 3(1), 3(4)(i) and 3(4)(ii)]*

<table>
<tr><th>No.</th><th>Activity</th><th>Minimum Owned Fund Requirement</th><th>Exempted Regulations, if any</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Undertaking only operating lease transactions for aircraft lease</td><td>USD 0.2 mn or equivalent amount in any other freely convertible currency</td><td rowspan="4">Regulation (4) and Regulation (8) subject to the following:<br>(i) To have a Board approved prudential policy<br>(ii) Fit and Proper criteria set out by the Authority</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Undertaking one or more of the non-core activities.</td><td rowspan="3">USD 0.2 mn or equivalent amount in any other freely convertible currency or any such amount as may be required to seek specific registration for a proposed non-core activity.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Undertaking to act as facilitators of core activities as and when permitted by the Authority</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Undertaking any of the permissible activities, if operating without customer interface.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Undertaking one or more core activities with or without non-core activities.</td><td>USD 3 mn or equivalent amount in any other freely convertible currency.</td><td>None</td></tr>
</table>

| | | | |
|---|---|---|---|
| **6** | Undertaking specialised activities with or without core or non-core activities. | USD 5 mn or equivalent amount in any other freely convertible currency. | None |

INJETI SRINIVAS, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./573/2020-21]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.04.01 00:18:10 +05'30'